

Court No. - 19

Case :- MATTERS UNDER ARTICLE 227 No. - 4232 of 2024

Petitioner :- Daya Shanker Pathak

Respondent :- State Public Service Tribunal,Lko. Thru.
Registrar And 3 Others

Counsel for Petitioner :- Jayshanker Shukla

Counsel for Respondent :- C.S.C.

Hon'ble Subhash Vidyarthi,J.

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री जयशंकर शुक्ला तथा राज्य सरकार के विद्वान अधिवक्ता श्री अनुराग कुमार मौर्या को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।
2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के अन्तर्गत प्रस्तुत इस याचिका द्वारा याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण को वाद संख्या 1331 सन 2022 के शीघ्र निस्तारण का निर्देश देने का अनुरोध किया है।
3. उपरोक्त वाद याचिकाकर्ता ने लोक सेवा न्यायाधिकरण के समक्ष वर्ष 2022 में दो वेतन वृद्धि रोकने के दण्डादेश के विरुद्ध प्रस्तुत की है।
4. याचिका के साथ संलग्न न्यायाधिकरण के आदेश पत्र की प्रतिलिपि से यह प्रतीत होता है कि याचिका में सुनवाई करके निर्णय सुरक्षित कर लिया गया था, उसके उपरांत किसी बिन्दु पर और सुनवाई हेतु पुनः तिथि नियत की गई। ऐसी परिस्थिति में यह नहीं प्रतीत होता है कि न्यायाधिकरण याचिकाकर्ता के मामले में सम्यक तत्परता से कार्यवाही नहीं कर रही है और न्यायाधिकरण को वाद के शीघ्र निस्तारण का निर्देश देने का कोई औचित्य नहीं है।
5. याचिका बलहीन है और तदनुसार, **निरस्त** की जाती है।

Order Date :- 5.9.2024

Himanshu